राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

(सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ)

क्रमांक :– प.10(567) परि/स.सु./स्टेट काउंसिल/2015/1864 जयपुर, दिनांक :– 9|2|21

माननीय परिवहन मंत्री महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 11.12.2020 को आयोजित "स्टेट रोड सेफ्टी कौंसिल" की 17वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

माननीय परिवहन मंत्री महोदय की अध्यक्षता में **"स्टेट रोड सेफ्टी कौंसिल"** की 17वीं बैठक दिनांक 11.12.2020 को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण तथा विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधिगण की सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय द्वारा राज्य में सड़क दुर्घटनाओं, घायलों एवं मृतकों की संख्या में वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई तथा वर्ष 2021 में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सभी हितधारक विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय से सुनियोजित कार्य योजना के तहत कार्य करने के निर्देश प्रदान किए गए। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 17.01.2020 को आयोजित गत बैठक में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की समीक्षा तथा बैठक के एजेन्डा पर बिंदुवार चर्चा की गई।

बैठक में विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त निम्न निर्णय लिए गए :–

परिवहन विभाग

1. राज्य में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारणों विशेष रूप से **तेज गति, हेलमेट व सीट बेल्ट** के प्रावधानों के प्रवर्तन के लिए पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा **संयुक्त अभियान** चलाए जाएं, जिसमें रात्रि चैकिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जावे।
2. राज्य में पूर्ण निर्मित **ऑटोमेटेड ड्राईविंग टेस्ट ट्रेक्स** को जल्द से जल्द चालू करने हेतु निर्देश दिए गए तथा शेष अनुमोदित ऑटोमेटेड ड्राईविंग टेस्ट ट्रेक्स का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जावे।
3. राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन विभाग में सड़क दुर्घटनाओं की नियमित समीक्षा हेतु **वॉर रूम** की स्थापना शीघ्र करने के निर्देश दिए गए।
4. परिवहन, पुलिस, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं एन.एच.ए.आई. के अधिकारियों की जिलेवार संयुक्त टीमों का गठन कर **राष्ट्रीय राजमार्गो पर स्थित ब्लेकस्पॉट्स का समयबद्ध निरीक्षण** कराने के निर्देश दिए गए।
5. आम जन को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार हेतु **मीडिया प्लान** तैयार करने के निर्देश दिए गए। इस क्रम में आमजन को जागरूक करने हेतु सड़क सुरक्षा से संबंधित प्रभावी लघु फिल्में भी बनवाने के निर्देश दिए गए।
6. प्रायः देखा गया है कि दुर्घटना स्थल पर लोग घायल की मदद करने एवं अस्पताल पंहुचाने की बजाय वीडियो बनाते हैं या पुलिस अथवा एंबुलेंस का इंतजार करते हैं, जबकि गोल्डन ऑवर में घायल को चिकित्सकीय मदद से बचाया जा सकता है। अतः घायलों की मदद करने के लिए आमजन को प्रेरित करने हेतु भला मददगार (गुड सेमेरिटन) दिशा–निर्देशों का अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार करने के निर्देश दिए गए।
7. अध्यक्ष महोदय द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने वाले गुड सेमेरिटन व्यक्ति को सम्मानित करने व उन्हें वित्तीय पारितोषिक देने पर विचार करने के निर्देश दिए गए।
8. माननीय उच्चतम न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा प्रावधानों के उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध बनाए गए चालानों पर लाईसेंस निलम्बन हेतु प्राप्त अनुशंसाओं के आधार पर लाईसेंस निलम्बन की कार्यवाही में वृद्धि करने के निर्देश दिए गए।

Parivahan Bhawan, Sahkar Marg, Jaipur, Rajasthan. 302005, Phone- 0141-2850611, Fax 0141-2740177
Website : www.transport.gov.in, e-mail : addl.rs.tdr@rajasthan.gov.in

9. परिवहन एवं पुलिस विभाग के "**No Reflector, No Vehicle**" (**रिफ्लेक्टर नहीं तो वाहन नहीं**) अभियान के अन्तर्गत राज्य के समस्त जिलों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए एक दिनांक निश्चित करके भार/यात्री परिवहन, ट्रैक्टर ट्रोलियों, ट्रैलर तथा गैर मोटर चलित वाहनों में रिफ्लेक्टर लगाने का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू किए जाने के निर्देश दिए गए। इस संबंध में जन जागरूकता के पश्चात् पूरे राज्य में इस संबंध में उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध वर्षपर्यन्त नियमित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

10. लोक परिवहन सेवा बसों के लिए स्टैण्ड निर्धारित करने पर विचार करने के निर्देश दिए गए। इस संबंध में राजस्थान पथ परिवहन निगम के अधिकारियों के साथ से पृथक से बैठक करने का निर्णय लिया गया।

11. अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए गए।

पुलिस विभाग

12. सड़क दुर्घटनाओं की गंभीर स्थिति को देखते हुए पुलिस अधीक्षक, यातायात, राजस्थान को एन.एच.ए.आई. के 75 पेट्रोलिंग वाहनों का अधिकाधिक उपयोग करते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही कराने की कार्ययोजना 7 दिवस में प्रस्तुत करने तथा की गई कार्यवाही की पृथक रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए गए। उक्त कार्ययोजना में राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग तथा यातायात नियमों के उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध प्रवर्तन कार्यवाही विशेष रूप से सम्मिलित करने हेतु निर्देशित किया गया।

13. सड़क दुर्घटना से होने वाली कुल मृत्युदर की 77 प्रतिशत मृत्यु केवल ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशानुसार इन क्षेत्रों में विशेष जांच अभियान सुनिश्चित करते हुए उनकी पृथक रिपोर्ट राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

14. माननीय उच्चतम न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा प्रावधानों के उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध बनाए गए चालानों पर लाईसेंस निलम्बन हेतु अनुशंसाओं में वृद्धि की जाए।

15. राज्य के समस्त पुलिस थानों एवं सार्वजनिक स्थानों पर गुड सेमेरिटन अधिकार पत्र अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने तथा गुड सेमेरिटन दिशा निर्देशों की पालना कराए जाने के निर्देश दिए गए। उक्त निर्देशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

16. सिंधी केम्प बस स्टेण्ड, जयपुर के निकटस्थ इलाकों में अवैध रूप से खड़े वाहनों के विरूद्ध अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।

सड़क सम्बन्धी विभाग

17. जयपुर शहर से बी.आर.टी.एस. कोरिडोर हटाने पर विचार करने के लिए आगामी 15 दिवस में माननीय परिवहन मंत्री महोदय की अध्यक्षता में नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों की बैठक आयोजित करने के निर्देश प्रदान किए गए।

18. अध्यक्ष महोदय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं एवं उनसे होने वाली मृत्यु की अत्यधिक संख्या पर नाराजगी व्यक्त करते हुए इन मार्गों पर इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मेनेजमेंट सिस्टम यथा स्पीड डिटेक्शन कैमरा, ऑटोमेटिक चालान जेनरेशन इत्यादि द्वारा प्रवर्तन कार्यवाही किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए।

19. एन.एच.ए.आई. को सड़कों पर अवैध कट्स बंद किए जाने के निर्देश दिए गए।

20. राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाएं व मृत्यु दर सर्वाधिक होने के कारण इन राजमार्गों पर नियमानुसार रोड फर्निचर्स की उपलब्धता, उनका नियमित रखरखाव व क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

Parivahan Bhawan, Sahkar Marg, Jaipur, Rajasthan. 302005, Phone- 0141-2850611, Fax 0141-2740177
Website : www.transport.gov.in, e-mail : addl.rs.tdr@rajasthan.gov.in

21. राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गो पर बसावट क्षेत्रों में प्रकाश की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
22. माननीय उच्चतम न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों की पालना में सड़क संबंधी विभागों को सड़क सुरक्षा से संबंधित रोड इंजिनियरिंग/ब्लैक स्पॉट सुधार कार्यों हेतु समर्पित सड़क सुरक्षा फंड से राशि देने के संबंध में विस्तृत चर्चा के उपरांत निर्णय लिया गया कि जिन कार्यों हेतु टोल कंपनीज़ का उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं है अथवा संबंधित सडक संबंधी विभाग के पास नियमित बजट उपलब्ध नहीं है, उन कार्यों हेतु समर्पित सड़क सुरक्षा कोष से राशि उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया।
23. टोल कंपनीज़ की लापरवाही के कारण यदि सड़क दुर्घटनाऐं घटित होती हैं तो ऐसी स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए।
24. राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गो पर प्राणघातक दुर्घटनाओं के दृष्टिगत सड़क निर्माण/रखरखाव कार्य प्रगति पर होने की स्थिति में आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय अनिवार्य रूप से अपनाए जाने के निर्देश दिए गए।
25. राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गो पर ब्लेक स्पॉट्स के निकट दुर्घटना संभावित क्षेत्र सूचक बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए।
26. माननीय उच्चतम न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों की पालना में एन.एच.ए.आई. को 75 पेट्रोलिंग वाहनों एवं 68 एंबुलेंसों द्वारा गत 6 माह में किए गए कार्यों का विस्तृत विवरण मय दस्तावेज 15 दिवस में राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन विभाग को उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया।
27. सड़क संबंधी विभागों को राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा की दृष्टि से पैदल यात्रियों/पशुओं/वाहनों के सड़क पार करने के लिये अंडरपास/फुटओवर ब्रिज/बेरिकेडिंग बनाने के लिए पॉलिसी बनाने हेतु निर्देशित किया गया।
28. राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गो पर जुड़ने वाली सड़कों के जंक्शन्स पर गति नियंत्रक उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
29. जयपुर शहर में सड़क सुरक्षा से संबंधित रोड इंजिनियरिंग उपाय तथा प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

30. सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर के ट्रोमा सेंटर में समर्पित सड़क सुरक्षा कोष से निर्मित नवीन गहन चिकित्सा ईकाई स्किल लैब के शीघ्र लोकार्पण हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए।
31. एन.एच.ए.आई. की 68 एंबुलेंसों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की एंबुलेंस सेवा (108) से एकीकृत करने का कार्य शीघ्र पूर्ण करने हेतु दोनों विभागों को निर्देशित किया गया।
32. स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल की आगामी बैठक में 108 एंबुलेंस सेवा से जुडे प्रतिनिधि को भी आमंत्रित करने के निर्देश दिए गए।
33. माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा (2019-20) की अनुपालना में 20 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को ट्रोमा स्टेबिलाईजेशन यूनिट (टी.एस.यू.) में क्रमोन्नत करने हेतु उपकरणों के उपापन की कार्यवाही RMSCL के माध्यम से अविलंब कराने हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया।
34. माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा (2020-21) की अनुपालना में 40 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राईमरी ट्रोमा सेंटर्स में क्रमोन्नत करने हेतु समर्पित सड़क सुरक्षा कोष से राशि उपलब्ध

करने के लिए विस्तृत प्रस्ताव मय अनुमानित लागत शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया।

35. राज्य के समस्त राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों में गुड सेमेरिटन अधिकार पत्र अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने तथा गुड सेमेरिटन दिशा निर्देशों की पालना में राज्य के समस्त निजी अस्पतालों द्वारा भी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का त्वरित निःशुल्क इलाज किए जाने के निर्देश दिए गए। उक्त निर्देशों की अवहेलना करने वाले अस्पतालों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।
36. राजमार्गों व अन्य महत्वपूर्ण मार्गों के निकट स्थित अस्पतालों में पर्याप्त साधनों, उपकरणों एवं मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

शिक्षा विभाग

37. विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु विद्यालयों व महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा विषय को अनिवार्य रूप से समावेषित करने के निर्देश प्रदान किए गए। वर्तमान में कक्षा 6 से 10 के पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा विषय से संबंधित सामग्री का परीक्षण करने हेतु राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ को पुस्तकें प्रेषित करने के निर्देश दिए गए।

समस्त हितधारक विभाग

38. वर्ष 2021 के लिए विस्तृत सड़क सुरक्षा कार्ययोजना तथा समर्पित सड़क सुरक्षा कोष से आवश्यकतानुसार राशि आवंटन हेतु वित्तीय प्रस्ताव 7 दिवस में राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन विभाग को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए।
39. माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा (2020—21) की अनुपालना में तमिलनाडु राज्य की तर्ज पर तैयार किए गए राजस्थान सड़क सुरक्षा रोड मेप 2020 के बिंदुओं की समयबद्ध क्रियान्विति करने के निर्देश प्रदान किए गए।

अन्त में बैठक अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

(रवि जैन)
शासन सचिव एवं
परिवहन आयुक्त तथा सदस्य सचिव,
स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल

क्रमांक : एफ 10(567) परि/स.सु./स्टेट कौंसिल/2019/1865-90 जयपुर, दिनांक 2|2|21

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह एवं परिवहन विभाग, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।

9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. निजी सचिव, पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, पुलिस मुख्यालय, जयपुर।
13. निजी सचिव, अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस, यातायात, राजस्थान, पुलिस मुख्यालय, जयपुर।
14. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।
15. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।
16. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।
17. निजी सचिव, मुख्य अभियंता, (सड़क) सार्वजनिक निर्माण विभाग, जैकब रोड, जयपुर।
18. निजी सचिव, महाप्रबन्धक, एन.एच.ए.आई, NHAI, एफ– 120, जनपथ, श्याम नगर, जयपुर।
19. नियंत्रक, स्टेट मोटर गैराज (ऑटो मोबाईल इंजीनियर), सहकार मार्ग, जयपुर।
20. निजी सचिव, निदेशक, सेंटर फॉर रोड़ सेफ्टी, सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर, कैम्पस– राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
21. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लि. (RSRDCC),'सेतु भवन', झालाना डूंगरी के सामने, जयपुर को बैठक में भाग लेने हेतु।
22. निजी सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 'RIDCOR', द्वितीय तल, जीवन निधि भवन, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर को बैठक में भाग लेने हेतु।
23. डॉ. माया टण्डन, मैनेजिंग ट्रस्टी, सहायता संस्था, 297, तरूछाया नगर, टोंक रोड़, जयपुर।
24. श्री प्रमोद भसीन, मैनेजिंग ट्रस्टी, मुस्कान संस्था, 45, हरिकिशन सोमानी मार्ग, हथरोई, अजमेर रोड़, जयपुर।
25. सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन विभाग के समस्त अधिकारीगण।
26. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (स.सु)

Parivahan Bhawan, Sahkar Marg, Jaipur, Rajasthan. 302005, Phone- 0141-2850611, Fax 0141-2740177
Website : www.transport.gov.in, e-mail : addl.rs.tdr@rajasthan.gov.in

E:\Komal Road Safety\Letters\Meeting minutes

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग
(सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ)

माननीय परिवहन मंत्री महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 11.12.2020 को आयोजित स्टेट रोड सेफ्टी कौसिंल की ऑनलाईन 17वीं बैठक का उपस्थिति का विवरण

क्र.स	नाम	पद	विभाग का नाम	टेलीफान/मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर
1	Shri Abhay kumar	Pr. Sec.	Transport		
2	Shri Rajesh Yadav	Pr. Sec.	PWD		
3	Shri Bhasker A Sawant	Pr. Sec.	UDH		
4	Shri Ravi Jain	Sec. and Commissioner	Transport		
5	Dr. Amrita Guha	SP (Traffic)	Police		
6	Shri Sudhir Sharma	Special Sec. FINANCE (EXPENDITURE)	Finance		
7	Shri Subhash Kholiya	J. Director	Medical & Health		
8	Shri Harish Sharma	Addl. T.C	Transport		
9	Smt. Nidhi Singh	D.T.C	Transport		
10	Dr. A.N Mathur	Addl. Director	Medical & Health		
11	Shri Promad Kichi	A.E.N.	DLB		

Parivahan Bhawan, Sahkar Marg, Jaipur, Rajasthan. 302005, Phone- 0141-2850610, Fax 0141-2740177
Website : www.transport.gov.in, e-mail : addl.rs.tdr@rajasthan.gov.in

क्र.स	नाम	पद	विभाग का नाम	टेलीफान/मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर
12	Shri Chinari Meena	Sec.	PWD		
13	Shri Deepak Gara	S.E	PWD		
14	Shri MK Bairwa	Chief Er.	LSG		
15	Shri BR Pinjare	XEN	PWD		
16	Shri MK Jain	CGM	NHAI		
17	Shri Mahesh Sharma	SE	RS. Cell Transport		
18	Dr. L.N Pandey	SMO	Rs. Cell Transport		
19	Shri Giriraj Verma	XEN	Rs. Cell Transport		
20	Shri PR. Jat	DTO	Rs. Cell Transport		
21	Shri Prakash Thadani	AAO-II	Rs. Cell Transport		
22	Shri Ghanshyam Singh	MVI	Rs. Cell Transport		
23	Smt. Swati Dixit	MVI	Rs. Cell Transport		

क्र.स	नाम	पद	विभाग का नाम	टेलीफान/मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर
24	Smt. Komal Prajapat	IA	Rs. Cell Transport		
25	Rohitash Meena	SA	Transport		
26	Shri Nandkishor Sharma	Constable	Rs. Cell Transport		
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					